uxj ipk;r egrij] ftyk Åuk] fgekpy in'k d y[kkvk dk vdk{k.k o fujh{k.k ifronu

vof/k 04@2007 l 03@2011

Hkkx&,d

ijk 1 ¼d½ ikjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत मैहतपुर, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vdk{k.k vof/k d nkjku vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh d in ij fuEufyf[kr i/kku o lfpo dk;jr jg %&

i/kku %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्रीमति बन्ती देवी	01.04.2007 से 31.03.2011

lfpo %&

Øekd	uke	vof/k
1	श्रीमति वर्षा	01.04.2007 से 28.05.2007
2	श्री राज किष्न	29.05.2007 से 10.03.2008
3	श्री प्रेम चन्द बत्तरा	11.03.2008 से 31.03.2011

¼[k½ uxj ipk;r egrii j d y[kkvk d vd{k.k vof/k 04@2007 l 03@2011 e ikbi xbi xEHkhj vkifÙk;ka dk lf{kIr lkj ½&

Øekd	i jk l [;k	vd{k.k vkifÙk dk lf{kIr lkj	jkf'k ¼₹½ yk[k e
1.	5.1	स्वीकृत बजट की राषि से अधिक व्यय करना	145.43
2.	6.1	गृहकर, दुकान किराया, चुल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	185.46
3.	6.2	दिनांक 31.03.2011 को गृहकर की वसूली शेष	175.95
4.	6.2.1	दुकानों/स्टालों के किराए के रूप में दिनांक 31.03.2011 तक राषि की वसूली न करना	5.58
5.	6.2.2	चूल्हा टैक्स की राषि की वसूली न करना	3.92
6.	6.2.3	दूरसंचार कम्पनियों द्वारा लगाए गए मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राषि की दिनांक 31.03.11 तक वसूली शेष	1.05
7.	6.5.1	दुकान संख्याः 24 को 18 मास तक किराए पर न देने के कारण हानि	0.18
8.	7.5	अंषदायी पैन्षन योजना से अनियमित भुगतान	0.36
9.	8, 8.5	संविदाकार को अधिक भुगतान	0.38
10.	8.6	बिजली की मदें खुले बाजार से क्रय करने बारे	5.95
11.	8.10	संविदाकार को अनियमित/अनुचित भुगतान	8.25
12.	8.11.3	सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना अतिरिक्त मदों का निष्पादन	0.89
13.	9.3	संविदाकारों से सीमेन्ट के बैगों की वसूली न करना	0.21

¼x½ xr vd{k.k ifronu ½&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 **orZeku vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu %&**

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा संजीव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 21.12.2011 से 18.02.2012 तक मैहतपुर में किया गया। आय के लिए माह 03/2008, 03/2009, 03/2010, 03/2011 तथा व्यय के लिए मास 09/2007, 01/2009, 02/2010, 01/2011 का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

Disclaimer :-

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non information on the part of auditee."

3 **vads{k.k 'kqYd %&**

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 का अंकेक्षण शुल्क ₹39,800/– आंका गया। सचिव, नगर पंचायत मैहतपुर को अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्याः 34/2012, दिनांक 06.03.2012 द्वारा शुल्क की राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा करने का अनुरोध किया गया।

4 **foÙkh; fLFkfr %&**

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक की वित्तीय स्थिति परिषिष्ट ''i'' पर संलग्न है।

¼i½ jksdM+ cgh %&

नगर पंचायत मैहतपुर के लेखाओं अवधि 04/2007 से 03/2011 तक तैयार की गई वित्तीय स्थिति में दिनांक 31.03.2011 तक ₹16,966/– का अन्तर पाया गया जिसके कारणों को परिषिष्ट ''ii(ख)'' में दर्षाया गया है। अतः पंचायत इन त्रुटियों का लेखांकन करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ <u>cSad lek/kku fooj.k</u> ¼&

दिनांक 31.03.2011 को तैयार किए गए बैंक समाधान विवरण को परिषिष्ट ''ii(क)'' पर दर्षाया गया है।

¼iii½ <u>gLrxr jkf'k dks tek djus ckjs</u> ¼&

परिशिष्ट ''ii(क)'' पर ₹1,06,975/— की राषि हस्तगत दर्षाई गई है। इस राषि में ₹1,00,959/— जमा करने बारे पुष्टि कर ली गई है। परन्तु शेष बची राषि ₹6,016/— को जमा के बारे में अवगत नहीं करवाया गया जिन्हें शीघ्र जमा करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिष्चित करें।

5 <u>ljdkjh vuqnku</u> ¼&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2007 से 03/2011 के दौरान प्राप्त अनुदानों का षीर्ष वार विवरण निम्न प्रकार से है :—

Øe la[;k	fooj.k	ifjf'k"V
1	2nd & 3rd SFC Grant	(iii)
2	SJSRY Grant	(iv)
3	EIUS/NSDP Grant	(v)
4	D.C. Grant	(vi)
5	Relief Funds/Maintenance of Road	(vii)
6	RGURF	(viii)
7	13th Finance Commission Grant	(viii)
8	IDSMT Grant	(ix)

5-1 <u>Lohd`r ctV dh jkf'k ls ₹145-43 yk[k dh jkf'k dk vf/kd O;; djuk</u> ¼&

नगर पंचायत मैहतपुर का अवधि 04/2007 से 03/2011 तक का स्वीकृति बजट व व्यय की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार था :—

o"kZ	Lohd`r ctV	okLrfod O;;	vUrj
2008—2009	79,68,962	83,10,758	3,41,796
2009—2010	77,41,075	78,76,013	1,34,938

2010–2011	86,48,500	2,27,15,185	1,40,66,685

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर पंचायत ने वर्ष 2008–2009, 2009–2010, 2010–2011 में स्वीकृत बजट की राषि ₹1,45,43,419 की राषि का अधिक व्यय किया। अधिक किए गए व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई है। अतः हिमाचल प्रदेष मयुनिस्पिल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेषक शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिष्चित की जाए।

6 <u>vk;</u> %&

नगर पंचायत मैहतपुर की आय के प्रमुख स्त्रोत निम्न हैं तथा इनसे प्राप्त आय परिषिष्ट ''x'' पर संलग्न है।

Øe la[;k	vk; 'kh"k
1	Shop Rant
2	Chullah Tax
3	House Tax
4	The Bazari
5	BC/DC Fees
6	Hada Rodi
7	Adv. & Dep
8	Misc
9	ELE Fees
10	PWC Fees
11	Building Fees
12	Interest
13	Wine Tax
14	Electricity cess
15	Ration Card
16	Sewerage
17	Marriage Registration
18	Dog Tax

19	Tower Installation
20	Stamp Duty

6-1 jkf'k ₹185-46 yk[k dh yfEcr olfy;k ckj %&

नगर पंचायत मैहतपुर की आय के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निम्नानुसार दिनांक 31.03.2011 तक ₹1,85,45,565/— की वसूलियाँ लम्बित थी।

Øe la[;k	fooj.k	jkf'k	ifjf'k"V
(i)	गृहकर	1,75,95,053	(xi)
(ii)	दुकान किराया	5,58,222	(xii)
(iii)	चुल्हा टैक्स	3,92,290	(xiii)
	;kx	₹1]85]45]565	

6-2 fnukd 31-03-2011 dk xgdj dh jkf'k ₹1]75]95]053 dh olyh 'k"k %&

परीक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को गृहकर के रूप में राषि ₹1,75,95,053/— की विभिन्न वारदाताओं/गृह स्वामियों से वसूल की जानी थी। हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम 1994 की धारा 87(i) के अर्न्तगत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर पंचायत के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित है दोषी करदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी आवष्यक हैं इस सम्बन्ध में दोषी तथा काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत के क्रिया कलापों पर इसका प्रभाव पड़ा है तथा लम्बित राषियों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है जिसकी वसूली के लिए प्रभावी पग उठाए जाएं।

6-2-1 ndkuk@LVkyk d fdjk, d :i e fnukd 31-03-2011 rd jkf'k ₹5]58]222@& dh olyh u djuk %&

नगर पंचायत द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों के किराए की राषि ₹5,58,222 दिनांक 31.03.2011 तक वसूली हेतु शेष थीं सचिव द्वारा किराया वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अतः हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

6-2-2 pYgk VDl dh jkf'k ₹3]92]290@& dh olwyh u djuk %&

दिनांक 31.03.2011 तक चूल्हा टैक्स की राषि ₹3,92,290/– वसूली हेतु लम्बित थी। हिमाचल प्रदेष नगर परिषद अधिनियम 1994 में इस प्रकार के कर की वसूली का कोई भी प्रावधान नही है। अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेष सरकार की अनुमति लेकर इसका नियमतिकरण करवाकर वसूली हेतु प्रभावी पग उठाए जाएँ।

6-2-3 njlpkj dEifu;ksa }kjk yxk, x, ekckbZy Vkoj dh LFkkiuk o uohuhdj.k 'kqYd dh jkf'k ₹1-05 yk[k dh fnukad 31-03-11 rd olwyh 'ks"k %&

नगर पंचायत क्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राषि ₹1,05,000/– दिनांक 31.03.11 तक वसूली हेतु शेष थी। इस राषि का विवरण निम्न प्रकार था :–

Øe la[;k	dEiuh dk uke	fnukad 31-03-2011 rd cdk;k jkf'k
1	मैसर्ज रिलायंस इन्फोकोम लिमिटेड	40,000
2	मैसर्ज टाटा टैलीसर्विसिज़	25,000
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	10,000
4	मैसर्ज वोडाफोन एस0ए0 स्पैसटैन लिमिटेड	5,000
5	मैसर्ज डिषनैट वायरलैस लिमिटेड	25,000
		₹1]05]000

अतः मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की उक्त राषि की वसूली करना सुनिष्चित करें।

6-2-4 njlpkj dEifu;ksa }kjk yxk, x, ekckbZy Vkoj ds uohuhdj.k 'kqYd esa **25%** c<ksrjh u djus ds dkj.k jkf'k ₹3]750@& dh olwyh u djus ckjs %&

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः डी0ई0वी(आई0टी0)2005/विविध, दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों के लिए कम्पनी से ₹5000/– प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क लिया जाना है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क 25%

की बढ़ौतरी करना अनिवार्य है। निम्न कम्पनियों के नवीनीकरण शुल्क में 5 वर्ष के उपरान्त 25% बढ़ौतरी न करने के फलस्वरूप ₹3750/– की वसूली लम्बित है जिसकी शीघ्र वसूली की जाए।

Ø0 l0	dEiuh dk uke	Vkoj bLVkys'ku frfFk	25% c<kksrjh dh frfFk	uohuhdj.k 'kYd	25% c<kksrjh ds dkj.k uohuhdj.k 'kYd	vUrj
1	मैं0 रिलायंस इन्फोकोम लिमिटेड	11.09.04	10.08.09	5000	6280	1250
2	मै0 भारती सैलवन लिमिटेड	03.04.05	02.03.10	5000	6250	1250
3	मैं0 टाटा टैली सर्विस	04/06	03/11	5000	6250	1250
						₹3750

6-2-5 <u>Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM dks ₹10]000@& uohuhdj.k 'kYd esa vfu;fer ykHk nsus ckjs %&</u>

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेष सरकार के पत्र संख्याः डी0ई0वी0 (आई0टी0)2005/विविध, दिनांक 22.08.2006 द्वारा निर्देष दिए गए हैं कि यदि कोई कम्पनी 5 वर्ष का नवीनीकरण शुल्क एकमुष्त अग्रिम जमा करवाती है तो उसको 25% छूट देने का प्रावधान है। जाँच में पाया गया कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने जी–8 संख्या 882/46, दिनांक 18.09.2008 द्वारा निम्नानुसार अवधि 04/2006 से 03/2009 तक का नवीनीकरण शुल्क तथा इन्सटालेषन फीस जमा करवाई तथा नगर पंचायत ने कम्पनी को ₹10,000/– की छूट दी जो कि नियमानुसार गलत है। अतः राषि ₹10,000 की वसूली शीघ्र की जाए।

vof/k	nj	jkf'k	jlhn l[;k
04/06 से 03/09 (3 वर्ष)	5000 (नवीनीकरण शुल्क)	15,000	882/46, दिनांक 18.09.08
इन्सटालेषन शुल्क		10,000	
	dqy	25]000	
छूट		10,000	
वसूली गई राषि		15]000	

6-3 fo|r miHkkx dj dh olyh u dju ckj %&

नगर पंचायत द्वारा एक पैसा यूनिट की दर से विद्युत उपभोग कर की वूसली की जानी थी। परन्तु नगर पंचायत ने अवधि 2010–2011 तक विद्युत उपभोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की है जिसकी वसूली शीघ्र करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

6-3-1 'kjkc dj dh olyh u dju ckj %&

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा वर्ष 2009–2010 तथा 2010–2011 के लिए कराधान विभाग से एक रुपये प्रति बोतल की दर से शराब कर की वसूली नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा विभिन्न अवधियों में प्राप्त शराब कर किस अवधि से सम्बन्धित था का कोई भी उल्लेख कराधान विभाग द्वारा नहीं किया गया था। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधियों के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6-4 x`gdj dh jkf'k ₹70@& dh de olyh djuk %&

गृह संख्याः 142 की वर्ष 2009–2010 के लिए गृह कर की छूट ₹1118 बनती थी। परन्तु श्री धनी राम गृह स्वामी को ₹1188/– गृह कर की छूट प्रदान की गई। इस प्रकार गृह स्वामी से ₹70/– गृहकर कम वसूले गए जिसकी वसूली की जाए।

6-5 fdjk, ij nh xbl ndkuk d vuqcU/kk dk uohuhdj.k u dju ckj %&

नगर पंचायत मैहतपुर ने 25 दुकाने किराए पर दी हैं। इन दुकानों के किराए में नियमानुसार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 10% बढ़ौतरी तो की गई है। परन्तु दुकानों के अनुबन्ध निदेषक, शहरी विकास विभाग द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार दुकानदारों से नहीं किए गए जिन्हें अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

6-5-1 ndku l[;k 24 dk 18 ekl rd fdjk; ij u nu d dkj.k jkf'k ₹0-18 yk[k dh gkfu %&

दुकान संख्या 24, दिनांक 20.04.2006 को श्री राम लाल सपुत्र श्र भगत राम को ₹1150/– प्रतिमाह किराए पर दी गई। इस दुकानदार के दुकान छोड़ने के उपरान्त यह दुकान श्री प्रतीक कुमार सपुत्र श्री प्राणनाथ को दिनांक 20.10.2006 से ₹1000/– प्रतिमाह किराए पर दी

गई। यह दुकान पुनः 01.07.2010 को श्री संजय सिंह सपुत्र श्री किषोरी लाल को ₹1100/– प्रति माह किराए पर दी गई। दुकानों को किराए पर देने में निम्न त्रुटियाँ पाई गई जिनके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

(i) दुकान को किराए में देने के लिए विज्ञापन नहीं दिया गया।

(ii) दुकान को किराए पर देने के लिए निलामी का मामला आवष्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। दुकान का आबंटन बिना निलामी किया गया।

(iii) श्री संजय सिंह दुकानदार से नियमानुसार ₹10,000 प्रति भूति नहीं ली गई जिसकी वसूली की जाए।

(iv) दुकान श्री प्रतीक सिंह ने दिनांक 31.12.2008 को खाली कर दी तदोपरान्त दिनांक 01.07.2010 से श्री संजय सिंह को इसका आबंटन किया गया। अतः यह दुकान लगभग 18 मास तक खाली रही है तथा इसे किराए पर देने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप नगर पंचायत को लगभग ₹18000 (18 x 1000) किराए की हानि हुई है जिसकी वसूली दोषी से की जाए।

(v) नगर पंचायत द्वारा दुकान को किराए पर देने का प्रस्ताव आवष्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

7 LFkkiuk %&

cynkj dh vfu;fer fu;fDr %&

संचिव नगर पंचायत द्वारा परिषिष्ट (xiv) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत मैहतपुर में 5 बेलदार दैनिक भोगी नियुक्त हैं। परन्तु इन्हें रखने/नियुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेष सरकार की अनुमति नहीं ली गई जिसे अब प्राप्त करके इस विभाग को अवगत करें।

7-1 vucU/k pkyd dh fu;fDr dju ckj %&

नगर पंचायत मैहतपुर में एक चालक को अनुबन्ध के आधार पर रखा गया है जिसे रखने के लिए निदेषक, शहरी विकास विभाग की अनुमति प्रतिवर्ष ली जा रही है। परन्तु यह पद हिमाचल

प्रदेष सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। अतः वांछित स्वीकृति अब प्राप्त करके इस विभाग को अवगत करें।

7-2 Jh cyno flg fyfid dk vfu;fer :i ls nks osru of);k inku djus ckjs %&

श्री बलदेव सिंह लिपिक की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उनकी नियुक्ति एक दैनिक भोगी लिपिक के पद पर की गई थी तथा उनकी सेवाएं दिनांक 01.04.1999 से लिपिक के रूप में नियमित की गई। उनहोंने दैनिक भोगी सेवा के दौरान एल0एस0जी0 डिप्लोमा कर रखा था तथा उन्हें नगर पंचायत के प्रस्ताव संख्याः 228, दिनांक 09.05.2000 के द्वारा उनकी नियमित की तिथि अर्थात 01.04.1999 से दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान की गई। निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0एल0बी0एच(बी)(2)–1/94–14603, दिनांक 18.12.1998 के अनुसार, "Such increments/incentives will be admissible only to those officials who have completed such training during their regular appointment." इस बारे ऑडिट मैमो संख्याः 11/2012, दिनांक 10.01.2012 द्वारा सचिव नगर पंचायत मैहतपुर को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बारे कहा गया। परन्तु सचिव द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0डी0–बी(7)–3/95(10), दिनांक 18.08.2010 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार उन्हें अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ देय नहीं हैं। अतः नियमानुसार उनका वेतन निम्न विवरणानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। अतः वेतन का पुनः निर्धारण करने के उपरान्त अधिक भुगतान की गई राषि की गणना विभागीय स्तर पर करें तथा अधिक भुगतान किए गए वेतन व भत्तों की राषि की वसूली करें।

fnukad	lsok iqfLrdk ds vuqlkj fu/kkZfjr ewy osru	fu;ekuqlkj ns; osru	vf/kd fu/kkZj.k@ vUrj	fVIi.kh
01.04.1999	3120	3220	100	नियुक्ति
01.04.2000	3220 + 200 = 3420	3330	120	वार्षिक वेतन वृद्धि तथा सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टि के अनुसार ₹200 (दो वेतन वृद्धियाँ एल0एस0जी0 डिप्लोमा के लिए 01.04.1999 से प्रदान की गई)

01.04.2001	3630	3440	190	वार्षिक वेतन वृद्धि तथा ₹3220 के Initial Start के लिए ₹110 की अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की गई (3420 + 110 + 100)
01.04.2002	3740	3550	190	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.04.2003	3860	3660	200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.04.2004	3980	3780	200	वार्षिक वेतन वृद्धि
01.04.2005	4100	3900	200	वार्षिक वेतन वृद्धि

श्री बलदेव सिंह लिपिक को उनके विकल्पक/सहमति के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से नया वेतन मान दिया गया।

fnukd	ely oru ¼3120 & 5160½	lok ifLrdk vulkj oru i cM $ xM i	;kx	fu;ekulkj n; oru			
				ely oru	i cM $ xM i	;kx	vUrj
01.01.06	4140	7710+1900	9610	3900	7260+1900	9160	450
01.04.06	वार्षिक वेतन वृद्धि	8000+1900	9900	—	7540+1900	9440	460
01.04.07	—यथोपरि—	8300+1950	10250	—	7830+1900	9730	520
01.04.07	ACPS (3120 - 6200)	8610+1950	10560	—	8130+1950	10080	480
01.04.08	वार्षिक वेतन वृद्धि	8930+1950	10880	—	8440+1950	10390	490
01.04.09	—यथोपरि—	9260+1950	11210	—	8760+1950	10710	500

01.04.10	–यथोपरि–	9600+1950	11550	–	9090+1950	11040	510

7-3 Jh ,e0d0 'kekZ dfu"B vfHk;Urk dk osru iqu% fu/kkZfjr djus ds QyLo:i mudks fd, x, vf/kd Hkqxrku dh olwyh u djus ckjs %&

okÅpj la[;k% 398] ekg 02@2010] jkf'k ₹55]12]800@&

श्री एम0के0 शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता की सेवाएं मास 08/1998 से दैनिक भोगी सेवा से नियमित की गई तथा वह मास 02/2009 से 08/2010 तक नगर पंचायत मैहतपुर में कार्यरत रहे। उन्हें उपरोक्त वाऊचर द्वारा निम्नानुसार वेतन भुगतान किया गया।

पे बैंड 15320 + गेड पे 4200 + अन्य भत्ते।

परन्तु निदेषक शहरी विकास विभाग के आदेष संख्याः यू0डी0–एच(बी)(15)–19/97, दिनांक 10.08.2010 द्वारा श्री एम0के0 शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता की सेवाएं दिनांक 20.07.2007 से पुनः नियमित मानी गई जो कि पूर्व में मास 08/1998 से नियमित की गई थी इससे पहले निदेषक शहरी विकास विभाग द्वारा जो भी आदेष जारी किए गए वह वापिस ले लिए गए। सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि इन आदेषों की अनुपालना में सचिव, नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा श्री शर्मा का वेतन दिनांक 20.07.2007 से पुनः निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया :–

fnukad	isa cSaM $ xzsM is
20.07.2007	10790 + 3800
01.07.2008	11230 + 3800
01.07.2009	11680 + 3800
01.07.2010	12150 + 3800

अतः श्री एम0के0 शर्मा कनिष्ठ अभियनता से पुनः वेतन निर्धारण के फलस्वरूप उन्हें मास 02/2009 से 08/2010 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली की गणना करके वसूली सुनिष्चित की जाए।

7-4 deZpkfj;ksa ds tUe izek.k i= izLrqr u djus ckjs %&

निम्न कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होने के फलस्वरूप उनसे नियमानुसार जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

deZpkjh dk uke	dk;Z xzg.k djus dh frfFk
श्रीमति महिन्द्र कौर स्वीपर	20.07.2007
श्रीमति आषा देवी स्वीपर	01.01.2009

7-5 va'knk;h isa'ku ;kstuk ls jkf'k ₹0-36 yk[k dk vfu;fer Hkqxrku %&

नगर पंचायत के कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह 10% की दर से अंषदान की कटौती की गई उसमें 10% की दर से नगर पंचायत द्वारा सहयोग राषि जमा करवाई गई। इस कटौती तथा सहयोग राषि को बचत खातों में जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 तक इन खातों में से ₹35,500/– आहरित किए गए। हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग (पैन्षन) के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन(पैन)ए(3)–5/2006, दिनांक 11.06.2010 की मद संख्याः 6 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इन कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके द्वारा टायर–1 के अनुसार अंषदान 10% जो कि आवष्यक था ही जमा करवाया गया है तथा टायर–2 को जो वैकल्पिक कटौती हेतु था उसमें उनके द्वारा कोई भी राषि जमा नहीं करवाई गई थी जिसमें से उनके भुगतान किया जा सकता। अतः उनके द्वारा आहरित ₹35,500/– को ब्याज सहित वापिस लेकर निधि मे जमा करवाया जाए।

deZpkjh dk uke	cSad dk uke	cpr [kkrk la[;k	fnukad	jkf'k
श्री वीरेन्द्र कौषल	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205868	10.10.09	5000
			17.12.09	5000
श्री सुषील कुमार	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205895	05.09.08	4000
			12.12.08	5000
श्रीमति ममहिन्द्र कौर	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205929	22.12.08	3000
श्री राजीव	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205877	11.04.09	3500
श्री राजू	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205886	11.04.09	5000
श्री ओंकार	पी0एन0बी0 मैहतपुर	0786000109205901	11.04.09	5000
				₹35]500

7-6 va'knk;h isa'ku ;kstuk ls ₹300 ,0Vh0,e0 pktZt ds ckjs %&

कर्मचारियों से वेतन से 10% कटौती तथा उसमें 10% सहयोग राषि को सचिव तथा कर्मचारी के नाम से संयुक्त खाता खोलकर बैंक बचत खाते में जमा करवाया गया। जाँच में पाया गया कि श्री बिहारी लाल के बचत खाता संख्याः 0786000109206122 पंजाब नेषनल बैंक मैहतपुर से ₹100 की दर से 3 वर्षों में ₹300 ए0टी0एम0 चार्जिज लगाए गए थे। बचत खाता निजि खाता न होकर सचिव तथा कर्मचारी का संयुक्त खाता है तथा इसमें कर्मचारी ए0टी0एम0 कार्ड से कभी भी राषि का दुरूपयोग कर सकता हैं अतः इस मामले को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा ₹300 खाते में जमा करवाए जाएं।

7-7 vi'knk;h iSU'ku ;kstuk [kkrks ds j[k&j[kko ckjs %&

नगर पंचायत में दिनांक 15.05.2003 से नियमित हुए कर्मचारियों के वेतन से 10% अंषदान की कटौती करके उसमें 10% सहयोग राषि जमा करवाई जा रही है। परन्तु इस राषि को अन्य नियमित कर्मचारियों के पैन्षन एण्ड ग्रेच्यूटी निधि मे जमा करवाया जा रहा है। जबकि इन खातों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेष सरकार के वित्त विभाग (पैन्षन) के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन (पैन)ए(3)–5/2006, दिनांक 11.06.2010 के अनुसार किया जाना है। अतः इस बारे शहरी विकास विभाग से उचित दिषा निर्देष प्राप्त करके उक्त ज्ञापन के अनुसार कार्यवाही की जाए।

7-8 okÅpj la[;k% 370 ls 374] ekl 01@2011] jkf'k ₹2]03]801@&

निम्नानुसार कर्मचारियों को मास 12/2010 का वेतन ₹220 अधिक भुगतान किया गया। जिसकी वसूली की जाए।

deZpkjh dk uke	ns; osru	Hkqxrku	vf/kd Hkqxrku
श्री सुषील कुमार	8,702	8,782	80.00
श्री चनन सिंह	10,345	10,425	80.00
श्री पवन कुमार	8,642	8,702	60.00
			₹220-00

7-9 okÅpj la[;k% 398] ekl 02@2010] jkf'k ₹55]128@&

श्री एम0के0 शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता के वेतन से ₹2000 सा0म0नि0 की कटौती की गई। परन्तु उनकी खाता वही आवष्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाना सुनिष्चित करें।

8 lafonkdkj dk jkf'k ₹0-21 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

निर्माण कार्य का नाम	C/o Proposed resurfacing of road/street from old Una Nangal Road to Gurudwara in Mohalla Ward No.5 Mehetpur.
संविदाकार का नाम	श्री राम स्वरूप
आबंटन आदेष संख्याः	69–73, दिनांक 13.10.2008
मापन पुस्तिका एंव पृष्ठ संख्याः	25 पृष्ठ 75

निर्माण कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्याः 25 पृष्ठ 75 पर सड़क/गली की 302.50 मीटर लम्बाई हेतु सीमेन्ट/कंक्रीट कार्य करने के लिए मद "Providing form work in ordinary timber" की रिकॉर्ड प्रविष्टि की गई थी। सीमेन्ट/कंक्रीट कार्य के लिए सड़क/गली के दोनों तरफ फोर्म वर्क निम्नानुसार न करके संविदाकार को 605 रनिंग मीटर कार्य प्रमात्रा के लिए ₹35.10 प्रति रनिंग मीटर की दर से ₹21,236.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिष्चित की जाए।

ekiu iqfLrdk esa yh xbZ x.kuk	x.kuk tks yh tkuh okafNr gSA	vUrj
1 x 4 x 292.60 = 1170.40 R.M	1 x 2x292.60 = 585.20 R.M	585.20
1 x 4 9.90 = 39.60 R.M	1 x 2x9.90 = 19.80	19.80
		605-00 jfuax ehVj

8-1 lafonkdkj dk ₹1903 dk vf/kd Hkqxrku %&

निर्माण कार्य का नाम	C/o drain back side to Budha Service Station
संविदाकार का नाम	श्री भीष्म कुमार
आबंटन आदेष संख्या	543–45, दिनांक 13.11.2006
मापन पुस्तिका एवं पृष्ठ सं0	24, पृष्ठ 41,42
बिल	द्वितीय एवं अन्तिम

मापन पुस्तिका संख्याः 24, पृष्ठ 41 पर मद संख्याः 1 “Excavation in drains” की 0.67 घन मीटर कार्य प्रमात्रा निष्पादित की गई। परन्तु मापन पुस्तिका के पृष्ठ 42 पर मद संख्याः 10 “Disposal of surplus earth…….” का कार्य प्रमात्रा 31.61 घन मीटर निष्पादित की गई। इस प्रकार संविदाकार का 30.94 घन मीटर (31.61 – 0.67) कार्य प्रमात्रा के लिए ₹61.50 प्रति घन मीटर की दर से ₹1903/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

8-3 lfonkdkj dk Hk.Mkj l tkjh lheUV cxk dh jkf'k ₹1800 dh de olyh djuk %&

निर्माण कार्य का नाम	Prov. Of drain from Sh. Balmiki Mandir upto main road ward no. 8
संविदाकार का नाम	श्री राम स्वरूप
बिल	प्रथम एवं अन्तिम
मापन पुस्तिका संख्याः	24 पृष्ठ 80 से 82

निर्माण कार्य के अनुबन्ध/निविदा के अनुसार संविदाकार को सीमेन्ट नगर पंचायत द्वारा ₹190/– प्रति बैग की दर से जारी किया जाना था। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को जो सीमेन्ट जारी किया गया उसकी वसूली ₹170/– प्रति बैग की दर से की गई। नगर पंचायत द्वारा संविदाकार को कुल 90 बैग सीमेन्ट जारी किए गए तथा उससे वसूली ₹170/– प्रति बैंग की दर स ₹15,300 की गई जो कि ₹190/– प्रति बैग की दर से ₹17,100 (190 x 90) की जानी थी। इस प्रकार संविदाकार से ₹1800 (17100 – 15300) कम वसूले गए जिनकी वसूली शीघ्र की जाए।

8-4 lfonkdkj dk jkf'k 0-09 yk[k dk vf/kd Hkxrku %&

निर्माण कार्य का नाम	C/o Welcome gate on Basdehra Road opposite to industrial area at Junction N.P. Mehetpur.
संविदाकार का नाम	श्री हरपाल सिंह
आबंटन आदेष संख्या	21–25, एन0पी0/वर्क्स, दिनांक 18.09.2008
मापन पुस्तिका संख्याः	21, पृष्ठ 89 से 94
बिल	द्वितीय एवं अन्तिम बिल

निर्माण कार्य की अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार स्वागत दरवाजे की चौड़ाई 5.60 मीटर ली जानी थी लेकिन मापन पुस्तिका में दर्ज की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों में दरवाज़े की चौड़ाई 8 मीटर दर्षाई गई है। इस प्रकार दरवाजे की चौड़ाई 2.40 मीटर (8–5.60) अधिक लेने के कारण संविदाकार को ₹8,573 का अधिक भुगतान किया गया जिस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली सुनिष्चित करें।

en l[;k	fooj.k	ekiu fy;k x;k	Mªkbax d vuqlkj ekiu	vUrj	nj	jkf'k
Annexure "A" 6	POL CC 1:6:12 in Pavement	1x6.70x8x.15=8.04 Sq.M.	1x6.70x5.60x.15=5.628 Sq.M.	2.412 Sq.M.	1500	3618
Annexure "B" 2	POL CC1:2:4 in pavement	1x6.70x8x.10=5.360 Sq.M.	1x6.70x5.60x.10=3.752 Sq.M.	1.608 Sq.M	1721.10	2768
			₹2768 पर 79% की दर से प्रीमियम			2187
						8573

8-5 l fonkdkj dk jkf'k ₹0-17 yk[k dk vf/kd Hkqxrku %&

निर्माण कार्य का नाम	IDSMT Project (Sh. Site Development to park in Ward No. 6)
संविदाकार का नाम	श्री रोबिन शर्मा
आबंटन संख्याः	614–16, दिनांक 01.10.2010
मापन पुस्तिका संख्याः	27, पृष्ठ 44

मापन पुस्तिका संख्याः 27 के पृष्ठ 44 पर निर्माण कार्य की मद संख्याः 1 "Cutting in earth work and disposal of excavated" का मापन गलत लेने के कारण संविदाकार को 171.30 घन मी0 कार्य प्रमात्रा ₹97.19 (102.30 – 5% below SR) प्रति घन मीटर की दर से ₹16,648/– का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वूसली की जाए।

fooj.k	ekiu iqfLrdk esa yh xbZ x.kuk	x.kuk tks yh tkuh gS	vUrj ¼?ku

			eh0½
आर0डी0 / 0 से 16.00	1x16x3.20+5.20 x1.40 +1.80 2 2 = 107.52 Sq.M	1x16x3.20+5.20x 1.40+1.80 2 2 = 107.52 Sq.M	–
आर0डी0 0 / 16 से 0 / 31	1x15x5.20+9.40 x 3.40 + 3.60 2 2 = 383.25 Sq.M	1x15x5.20+9.40 x 1.80+3.60 2 2 = 295.65 Sq.M	87.60
आर0डी0 0 / 31 से 0 / 46	1x15x9.40 + 7.90 x 3.60+4.30 2 2 = 512.51 Sq.M	1x15x9.40+7.90 x 3.60+4.30 2 2 = 512.51 Sq.M	–
आर0डी0 0 / 46 से 0 / 61	1x15x11+7.80 x4.30 + 2.90 2 2 = 756 Sq.M	1x15x7.90+17.00x4.30+2.90 2 2 = 672.30 Sq.M	83.70
		Total	171-30

8-6 jkf'k ₹5-95 yk[k dh fctyh dh enksa [kqys cktkj ls Ø; djus ckjs %&

नगर पंचायत द्वारा अवधि 04 / 2007 से 03 / 2011 तक ₹5,95,498 की बिजली की मदों का क्रय खुले बाजार से किया गया। जब हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा बिजली की मदों की दरें अनुमोदित की गई हैं। अतः नियन्त्रक भण्डार का अनापति प्रमाण–पत्र लिए बिना खुले बाजार से क्रय की गई बिजली की मदों का औचित्य दिया जाए। भविष्य में दर निविदाओं के अनुसार ही क्रय किया जाए।

ok0 l0	ekl	QeZ dk uke	fcy l0	fnukad	jkf'k ¼₹½
58	05 / 07	मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	131	09.02.07	6834
366	01 / 08	मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	160	22.06.07	3265
367	01 / 08	मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	161	24.07.07	2503
253	09 / 08	मैं0 एन0 के0 ट्रेडिंग कं0 मैहतपुर	250	11.06.08	5700

269	10/08	मैं0 कुमार इलैक्ट्रोनिकस ऊना	355	15.09.08	34,504
360	12/08	मैं0 एन0 के0 ट्रेडिंग कं0 मैहतपुर	431	15.09.08	32,910
439	01/09	मैं0 कुमार इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	368	10.12.08	3,79,254
38	04/10	मै0 एन0 के0 ट्रेडिंग कं0 मैहतपुर	40	24.10.09	19,350
183	08/10	मै0 एन0 के0 ट्रेडिंग कं0 मैहतपुर	320	07.05.10	19,660
283	11/10	मै0 एन0 के0 ट्रेडिंग कं0 मैहतपुर	472	27.10.10	32,550
378	01/11	मै0 कुमार इलैक्ट्रोनिक ऊना	438	08.12.10	58,968
				;kx	₹5]95]498

8-7 lfonkdkj dk tkjh fd, x, lheUV cSxk dh eY; jkf'k ₹2600 dh olyh u djuk ckjs %&

कार्य का नाम A/R & M/O Various streets, roads & Drains in N.P. Area

संविदाकार का नाम श्री राम स्वरूप

निर्माण कार्य के अनुबन्ध के अनुसार संविदाकार को जारी किए जाने वाले सीमेन्ट की वसूली ₹195/– प्रति बैग की दर से की जानी थी। संविदाकार की खाताबही के पृष्ठ संख्या: 15 की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकार को 355 बैग सीमेन्ट ₹195/– की दर से जारी किया गया तथा उससे ₹69,225 की वसूली की जानी थी। परन्तु संविदाकार से निम्नानुसार 350 सीमेन्ट के बैगों की वसूली ₹66,625 की गई। इस प्रकार ₹2600 (69,225 – 66,625) कम वसूले गए जिसकी वसूली की जाए।

ekiu iqfLrdk l0	i"B la[;k	lheUV cSx	nj	jkf'k olwyh xbZ ¼₹½
25	63	25	195	4875
25	82	98	190	18,620
26	5	125	190	23,750

22	43	102	190	19,380
				₹66]625

8-8 fctyh dh enk d Ø; ij Qe dk jkf'k ₹0-04 yk[k dk vf/kd Hkxrku ¼&

okÅpj l[;k 439] ekl 01@2009] jkf'k ₹3]79]254@&

नगर पंचायत मैहतपुर ने मैसर्ज कुमार इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनी ऊना से बिल संख्याः 368, दिनांक 10.12.2008 के द्वारा ₹3,79,254 की बिजली की मदों का क्रय किया। जाँच में पाया गया कि फर्म की निविदा में फर्म ने 70 वाट होल्डर की दर ₹115/– प्रति होल्डर दर्षाई थी। परन्तु बिल में यह दर ₹185/– लगाई गई तथा फर्म को ₹185 + 12.5% वैट की दर से 50 होल्डर के लिए ₹10,400/– का भुगतान किया गया जबकि यह भुगतान प्रति होल्डर 115 + 12.5% वैट की दर से 50 होल्डर के लिए ₹6,450 किया जाना था। इस प्रकार संविदाकार को ₹3950 (10,400 – 6450) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जाए।

8-9 lfonkdkj dk tkjh fd, x, lheUV cxk d eY; ₹0-08 yk[k dh olyh u dju ckj ¼&

निर्माण कार्य का नाम	C/o Road from Tadda Road H/o Bhagat Ram RD/00 to 200 mtrs.
संविदाकार का नाम	श्री हरपाल सिंह
बिल	प्रथम तथा द्वितीय एवं अन्तिम बिल
मापन पुस्तिका सं0	(1) मापन पुस्तिका संख्याः 21 पृष्ठ 83,84
	(2) मापन पुस्तिका संख्याः 24 पृष्ठ 7,8

संविदाकार को निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए 288 बैग सीमेन्ट के जारी किए गए संविदाकार से मांग 243 सीमेन्अ बैग ₹170 प्रति बैंग की दर से वसूली की गई। इस प्रकार संविदाकार के पास बचे 45 बैग सीमेन्ट (288 – 243) की न तो उससे वसूली की गई और न ही न बैगों को अन्य कार्य के लिए हस्तांतरित/भण्डार में प्राप्त किया गया निर्माण कार्य में संविदाकार को जारी किए गए तथा वसूले गए सीमेन्ट बैग का विवरण निम्नानुसार है :–

ekiu iqfLrdk l0	i"B l0	tkjh fd, x, lheUV cSx	olwy x, lheUV cSx	'ks"k cSx
21	84	233	188	45
24	8	55	55	–
				45 cSx

अतः संविदाकार अथवा दोषी से 45 बैग सीमेन्ट की वसूली ₹170 प्रति बैग की दर से ₹7,650 सुनिष्चित करें।

8-10 <u>lafonkdkj dks jkf'k ₹8-25 yk[k dk vfu;fer@vuqfpr Hkqxrku</u> %&

<u>okÅpj la[;k 381] ekl 01@2011] jkf'k ₹34]63]652@&</u>

निर्माण कार्य का नाम	C/o Parking near Rahan Basera Building NAC Mehatpur Distt. Una
संविदाकार का नाम	श्री पोहू लाल भारद्वाज
मापन पुस्तिका संख्या	28

उक्त भुगतान वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि श्री पोहू लाल भारद्वाज संविदाकार को ₹34,63,652.00 का सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) भुगतान किया गया। जबकि नियमानुसार उन्हें सुरक्षित अग्रिम (Secured Advance) की राषि ₹26,38,289 ही देय बनती थी।

उपरोक्त मामले में संविदाकार द्वारा मैसर्ज नन्द लाल बलबन्त राय सैक्टर 29 डी चण्डीगढ़ से 85–87 मीट्रिक टन स्टील क्रय करके स्थल पर लाई गई थी जिसका कुल मूल्य निम्नानुसार 32,97,861 बनता था।

fcy l0	fnukad	ek=k	nj ¼₹½	jkf'k ¼₹½
0674	22.12.10	5970 कि0ग्रा0 (25 एम0एम0)	35.30	2,10,741
		13,940 कि0ग्रा0 (20 एम0एम0)	35.80	4,99,052
		2010 कि0ग्रा0	35.80	71,958

		(12 एम0एम0)		
				₹7]81]751
			fcØh dj 4%	31]270
			ykfMx	1]320
				₹8]14]341
0685	25.12.10	14,650 कि0ग्रा0 (8एम0एम)	37.50	5,49,375
		3330 कि0ग्रा0 (20 एम0एम0)	36.30	1,20,879
		5150 कि0ग्रा0 (16 एम0एम0)	36.30	1,86,945
		501 कि0ग्रा0 (बाईंडिंग वायर)	43	21,552
				₹8]78]751
			fcØh dj 4%	35]150
			ykfMx	1]440
				₹9]15]341
0701	30.12.10	22810 कि0ग्रा0 (10 एम0एम0)	36.80	8,39,408
			fcØh dj 4%	33,576
			ykfMx	1,580
				₹8]74]564
0708	31.12.10	9570 कि0ग्रा0 (10 एम0एम0)	36.80	3,52,176
		5100 कि0ग्रा0 (16 एम0एम0)	36.40	1,85,640
		3440 कि0ग्रा0 (8 एम0एम0)	37.20	1,27,968

	6]65]784
fcØh dj 4%	26]631
ykfMx	1]200
	₹6]93]615

संविदाकार द्वारा स्थल पर लाई गई स्टील का कुल मूल्य ₹32,97,861 (8,14,341 + 9,15,341 + 8,74,564 + 6,93,615) तथा भार 85.87 मीट्रीक टन था। नगर पंचायत द्वारा मद "Providing & Fixing tor steel" की दर जो कि ₹50.42 कि0ग्रा0 थी के आधार पर 85.87 मीट्रीक टन का कुल मूल्य ₹43,29,563.00 को आधार मानते हुए 80% सुरक्षित अग्रिम राषि ₹34,63,650 का भुगतान कर दिया गया। जबकि संविदाकार द्वारा स्थल पर लाई गई स्टील की कुल मूल्य/लागत ₹32,97,861 थी तथा सी0पी0डब्लयू0डी0–खण्ड–1 के पैरा 31.4(2) के अनुसार संविदाकार को स्टील मूल्य का 80% ₹26,38,289 ही देय बनता था। इस प्रकार संविदाकार को ₹8,25,361 (34,63,650 – 26,38,289) का अनुचित लाभ पहुंचाया गया जिसकी वसूली पैनल ब्याज सहित दोषी से की जाए।

8-10-1 आबंटन पत्र की शर्त संख्याः (x) के अनुसार संविदाकार द्वारा 15 दिन के भीतर अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना आवष्यक था। परन्तु नियमानुसार संविदाकार से अनुबन्ध नहीं किया गया है जिसे करना सुनिष्चित करें।

8-10-2 नगर पंचायत द्वारा संविदाकार की खाताबही तैयार नहीं की गई है जिसे तैयार करना सुनिष्चित किया जाए।

8-11 okÅpj l[;k 'kU;] ekg 01@2009] jkf'k ₹1]06]719@&

निर्माण कार्य का नाम	C/o shopping Complex (Centre Block near Bus Stand Mehatpur)
संविदाकार का नाम	श्री हरपाल सिंह
मापन पुस्तिका संख्या	26, पृष्ठ 1 से 2
बिल	प्रथम चलत बिल

निर्माण कार्य का सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना आबंटन करना।

श्री हरपाल सिंह संविदाकार को निर्माण कार्य पत्र संख्याः 47/एन0पी0/वर्क्स, दिनांक 18.01.2007 के द्वारा ₹27,57,134 के लिए आबंटित किया गया। जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य का अनुमान तथा तकनीकी स्वीकृति हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के 15वें वृत ऊना के अधीक्षण अभियन्ता पत्र संख्याः पी0डब्ल्यू/एस0ई0 xv/डब्लयू0एस/आर एण्ड बी–ऊना/2007–8752–54, दिनांक 10.10.2007 द्वारा ₹32,75,719.80 प्रदान की गई। आरम्भ में संविदाकार को ₹27,57,134/– का कार्य आबंटित किया गया। परन्तु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त पुनः आबंटन पत्र जारी करते हुए संविदाकार को ₹32,75,719.80 में कार्य आबंटित कर दिया गया। अतः न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा संख्याः 11.6(1) तथा 11.6(2) के अनुसार अनुमान का अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना निविदाएं बुलाने तथा कार्य आबंटन का औचित्य दिया जाए।

8-11-1 <u>₹1200 dh olwyh lafonkdkj ls u djus ckjs</u>%&

आबंटन पत्र तथा संविदाकार से किए गए अनुबन्ध के अनुसार संविदाकार को जारी किए जाने वोल सीमेन्ट बैग की वसूली ₹190/–प्रति बैग की दर से की जानी थी जो कि ₹170/– प्रति बैग की गई है। इस प्रकार संविदाकार से ₹20/–प्रति बैंग (190 – 170) की दर से वसूली कम की गई है। संविदाकार को 60 बैग सीमेन्ट के जारी किए गए जिनकी वसूली ₹170/– प्रति बैग की दर से की गई है। अतः संविदाकार से ₹1200 की (60 x 20) वसूली सुनिष्चित की जाए।

8-11-2 निर्माण कार्य का Tender Opeinion रजिस्टर आवष्यक जाँच हेतु अंकेक्षण मे उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिष्चित करें।

8-11-3 <u>l{ke vf/kdkjh dh vuqefr@vuqeksnu fy, fcuk ₹0-89 yk[k dh vfrfjDr enksa dk fu"iknu</u>

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष, के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6(4)(iii) के अनुसार अतिरिक्त मदों के निष्पादन हेतु निदेषक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन लिया जाना आवष्यक था। जाँच में पाया गया कि निम्नानुसार ₹88,632/– की अतिरिक्त मदें निष्पादित की गई। परन्तु सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई है जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

en	fooj.k	ek=k	nj	jkf'k

l[;k				
2	P& L C.C. 1:6:12	41.80 घन मी0	1429.64	59,759
3	Extra Carriage of Excavated earth	334.37 घन मी0	86.35	28,873
				₹88]632

9 lheUV Hk.Mkj jftLVj %&

uxj iapk;r lark"kx<+ dks Å/kkj fn, x, lheUV 100 cSx dks okfil u ysus ckjs

सीमेन्ट भण्डार पंजिका पृष्ठ 8 पर दिनांक 06.02.2007 को इन्डैन्ट संख्याः 137 के द्वारा नगर पंचायत मैहतपुर ने नगर पंचायत संतोषगढ़ को सीमेन्ट के 100 बैग ऊधार दिए थे। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक सीमेन्ट के ऊधार दिए गए बैग नगर पंचायत मैहतपुर ने वापिस नहीं लिए थें अतः ऊधार दिए गए सीमेन्ट के 100 बैग शीघ्र वापिस लिए जाएं अन्यथा वर्तमान समय में सीमेन्ट के बाजार भाव पर दोषी से राषि वसूल की जाए।

9-1 uxj iapk;r lark"kx<+ dks Å/kkj fn, x, 300 lheUV cSx ckjs %&

नगर पंचायत मैहतपुर की सीमेन्ट भण्डार पंजिका के पृष्ठ 11 पर दिए गए नोट के अनुसार नगर पंचायत संतोषगढ़ को 300 बैग सीमेन्ट ऊधार दिए गए तथा इस मात्रा को कुल मात्रा से घटाया नहीं गया था परन्तु मांग इसका पृष्ठ पर नोट दिया गया था जो निम्न था :–

fnukd	lheUV cSx
21.07.2008	100
23.07.2008	200
	300
वपिस प्राप्ति	(–) 50
शेष	250

नगर पंचायत संतोषगढ़ द्वारा प्राप्त सीमेन्ट बैग को अपने भण्डार रजिस्टर में निम्नानुसार प्राप्ति तथा वापिसी दर्षाई गई है :–

fnukd	lheUV cSx dh uxj	lheUV Hk.Mkj	lheUV cSx dh uxj	'ks"k

	ipk;r egrij ls ikfIr	jftLVj ,e0,0,l0 i"B l0	ipk;r egrij dk okfilh	lheUV cSx
23.07.2008	200	47	—	—
23.09.2008	100	47	—	—
05.11.2008	—	48	250	—
	300		250	50

अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए तथा सीमेन्ट बैग जो कि नगर पंचायत सन्तोषगढ़ को ऊधार दिए गए हैं उन्हें शीघ्र वापिस लिया जाए।

9-2 lheUV ds 12 cSx dh olwyh lafonkdkj ls u djus ckjs %&

सीमेन्ट भण्डार पंजिका पृष्ठ 11 पर दिनांक 02.12.2008 को श्री रोबिन शर्मा संविदाकार को सीमेन्ट के 12 बैग ''निर्माण कार्य C/o RCC Slab on drain in Ward No. 9 near the house of Sh. Avtar Singh" के लिए जारी किए गए। परन्तु सीमेन्ट बैगों को संविदाकार की खाताबही में न तो दर्ज किया गया और न ही उनसे राषि की वसूली की गई जिसे अब करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

9-3 lafonkdkj ls lheUV ds cSxksa dh jkf'k ₹0-21 yk[k dh olwyh u djus ckjs %&

संविदाकार खाताबही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को जारी किए सीमेन्ट की वसूली नहीं की गई थी। जबकि यह कार्य पूर्ण हो चुके थे परन्तु उनसे ₹21,450/— की वसूली खाताबही के अनुसार शेष थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करें अन्यथा राषि की वसूली सुनिष्चित की जाए।

o"kZ	[kkrkcgh i"B l0	dk;Z dk uke	lheUV cSx	nj	jkf'k ¼₹½
2008–2009	8	P/o Street from House of Avtar Singh to house of Ramesh Chand	35	195	6825
2008–2009	21	C/o Road drain and P/o street in ward no. 4	75	195	14625
					₹21]450

10 **vkj0lh0lh0 dk;Z esa l{ke vf/kdkfj;ksa dk VsLV pSd u djuk %&**

शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेष के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के नियम 11.6(4)(vi) के अनुसार आर0सी0सी0 कार्य के लिए सहायक अभियन्ता द्वारा 100 प्रतिषत टैस्ट, अधिषाषी अभियन्ता का 10 प्रतिषत से 15 प्रतिषत तक टैस्ट चैक करवाया जाना अनिवार्य है। परन्तु निर्माण कार्यों में नियमानुसार सक्षम अधिकारियों का टैस्ट चैक नहीं करवाया गया जिस बारे इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

11 **lafonkdkjksa ls fuxksf'k,'ku i= ¼Negotiation Letter½ u ysuk %&**

जाँच में पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निष्पादित मदों की दरें संविदाकारों से निगोषिएषन करने के उपरान्त कम की गई थी। परन्तु संविदाकारों का निगोषिएषन पत्र प्राप्त नहीं किए गए। जिस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करें।

12 **ysoj lSl dh olwyh ckjs %&**

बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्षन वर्क्स (आर0ई0 एण्ड सी0एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेष में दिनांक 04.12.2008 से लागू होने के कारण संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी थी। जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा उक्त दिनांक के पश्चात करवाए गए निर्माण कार्यों से कोई भी लेबर सैस की वसूली नहीं की जा रही है तथा न ही संविदाकारों से किए गए अनुबन्ध तथा आबंटन आदेष पत्र में लेबर सैस की वसूली बारे शर्त लगाई जा रही हैं। अतः इस बारे इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा नियामनुसार संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली सुनिष्चित करें।

13 **lfpo }kjk 'kfDr;ksa dk nq:i;ksx %&**

शहरी विकास विभाग के न्यू अकाऊंटिंग मैनुअल के पैरा 11.6(4)(i) के अनुसार "All tenders upto Rupees Five lakh shall be opened by the Municipal Engineer at the time and place specified in the notice issued under the provisions of rule 11-6(2), in presence of the Executive officer/Secretary of the Municipality. After that the M.E shall submit to the Administrator/President or other officer or sub committee authorized by the Corporation/Municipality in this behalf all the valid tenders received by the date, together with his recommendations as to which tender should be accepted, and the Administrator/President, Other Officer or Chairman of the sub-committee shall sign the tender or tenders which he or she considers should be accepted in taken of such

acceptance, which will be finally approved by Director. The work will be awarded by Municipal Engineer/Executive Engineer”.

जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों के लिए निदेषक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सचिस द्वारा अपने स्तर पर ही संविदाकारों को निर्माण कार्य का आबंटन किया जा रहा है जिसके लिए वह उक्त नियम के अन्तर्गत सक्षम नहीं है। अतः इस बारे इस विभाग को अगवत करें तथा सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

14 iLrdky; grq Ø; dh tkus okyh eSxthu rFkk v[kckjksa ckjs %&

नगर पंचायत मैहतपुर द्वारा प्रतिवर्ष लगभग ₹10,000/– की राषि पुस्तकालय के लिए मैगज़ीन तथा अखबारों के क्रय पर किया गया था परन्तु पुस्तकालय आगंतुक रजिस्टर नहीं लगाया गया है जिससे कि ज्ञात हो सके कि कितने लोगों को पुस्तकालय का लाभ पहुंचाया जा रहा है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करना सुनिष्चित किया जाए।

14-1 okÅpj la[;k% 216] ekl 09@2007] jkf'k ₹8000@&

नगर पंचायत ने विभिन्न वार्डों के नालों की सफाई का कार्य करने के लिए ₹8000/– की राषि पार्ट पेमैन्ट के रूप में श्री विजय कुमार संविदाकार को जारी की। परन्तु श्री विजय कुमार संविदाकार को किए गए कार्य आबंटन का ओदष, निविदाएं तथा मापन पुस्तिका अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिष्चित करें।

14-2 okÅpj la[;k 405] ekl 02@2010] jkf'k ₹3253@&

न्गर पंचायत ने बिल संख्याः 246, दिनांक 18.01.2007 के अन्तर्गत दि ऊना डिस्ट्रिक को–ऑप्रेटिव डिवेलपमैन्ट फैड्रेषन से बिना निविदाएं बुलाए खुले बाजार से ₹3253/– की स्टेषनरी की मदें क्रय की हैं जिनके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करें।

14-3 okgu la[;k% ,p0ih0&20&,&2227 ds j[k&j[kko jftLVj ds ckjs %&

वाहन संख्या एच0पी0–20–ए–2227 के रख–रखाव रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि रजिस्टर में मात्र कैष मैमों संख्याः तथा राषि की प्रविष्टि ही की जा रही है तथा क्रय किए गए

पुर्जों/मदों के नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त बदले गए पुर्जों के पुराने पार्टस भी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः वांछित अभिलेख अब तैयार किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

15 y?kq vkifÙk foojf.kdk %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

16 fu"d"kZ %& लेखों में नितान्त सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78–खण्ड, दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

(1) निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–02

ifrd %& (2) सचिव, नगर पंचायत मैहतपुर ऊना को इस आषय के साथ प्रेषित किया जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन के जारी होने के एक मास के भीतर प्रेषित करें।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष षिमला–171009

¼vuqi dqekj ?kk:½

ifjf'kf"V&^v**

xr vads{k.k izfrosnuksa dks vfu.khZr iSjksa dh lwph %&

1- vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@80 ls 03@81

1	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत	
2	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत	

2- vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@81 ls 03@83

1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 10(ए)	अनिर्णीत	
3	पैरा 10(बी)	अनिर्णीत	
4	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत	
5	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत	
6	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत	
7	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 16(सी)	अनिर्णीत	

3- vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@85 ls 03@87

1	पैरा 10	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)

4- vkd{k.k ,o fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@87 ls 03@91

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
6	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(च)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
8	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
13	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	

14	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत	
16	पैरा 11	अनिर्णीत	
17	पैरा 12(क)	अनिर्णीत	
18	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा 13	अनिर्णीत	
20	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	
21	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	
22	पैरा 16	अनिर्णीत	

5- vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@91 l 03@94

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा 7	अनिर्णीत	
4	पैरा 8(क)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
5	पैरा 9	अनिर्णीत	
6	पैरा 10(क)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
7	पैरा 10(ख)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
8	पैरा 10(ङ)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
9	पैरा 10(झ)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
10	पैरा 10(ट)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
11	पैरा 10(ठ)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
12	पैरा 10(ञ)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)

13	पैरा 10(य)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
14	पैरा 10(व)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
15	पैरा 10(स)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
16	पैरा 12	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
17	पैरा 14	अनिर्णीत	
18	पैरा 15	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
19	पैरा 16	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
20	पैरा 17(iii)	अनिर्णीत	
21	पैरा 17(viii)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
22	पैरा 17(ix)	निर्णीत	(पत्र संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)

6- vads{k.k ,oa fujh{k.k ifronu vof/k 04@94 ls 03@2003

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 11	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 14	अनिर्णीत
8	पैरा 15	अनिर्णीत
9	पैरा 16	अनिर्णीत
10	पैरा 17	अनिर्णीत
11	पैरा 18	अनिर्णीत

12	पैरा 19	अनिर्णीत	
13	पैरा 20	अनिर्णीत	
14	पैरा 21	अनिर्णीत	
15	पैरा 22	अनिर्णीत	
16	पैरा 25	अनिर्णीत	
17	पैरा 28	अनिर्णीत	
18	पैरा 29	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
19	पैरा 30	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
20	पैरा 31	अनिर्णीत	
21	पैरा 33	अनिर्णीत	
22	पैरा 34	अनिर्णीत	
23	पैरा 35	अनिर्णीत	
24	पैरा 36	अनिर्णीत	
25	पैरा 37	अनिर्णीत	
26	पैरा 40	अनिर्णीत	
27	पैरा 41	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
28	पैरा 43	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
29	पैरा 44	अनिर्णीत	
30	पैरा 45	अनिर्णीत	
31	पैरा 46	अनिर्णीत	
32	पैरा 47	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
33	पैरा 48	अनिर्णीत	
34	पैरा 49	अनिर्णीत	
35	पैरा 50	अनिर्णीत	
36	पैरा 51	अनिर्णीत	

37	पैरा 52	अनिर्णीत	
38	पैरा 53	अनिर्णीत	
39	पैरा 54	अनिर्णीत	
40	पैरा 56	अनिर्णीत	
41	पैरा 57(i)	अनिर्णीत	
42	पैरा 57(ii)	अनिर्णीत	
43	पैरा 58	अनिर्णीत	
44	पैरा 59	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
45	पैरा 60	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
46	पैरा 61	अनिर्णीत	
47	पैरा 62	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
48	पैरा 64	अनिर्णीत	
49	पैरा 65	अनिर्णीत	
50	पैरा 65(i)	अनिर्णीत	
51	पैरा 66	अनिर्णीत	
52	पैरा 68	अनिर्णीत	
53	पैरा 69	अनिर्णीत	
54	पैरा 70	अनिर्णीत	
55	पैरा 73	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
56	पैरा 74	अनिर्णीत	
57	पैरा 75	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
58	पैरा 76	अनिर्णीत	
59	पैरा 77	अनिर्णीत	
60	पैरा 78	अनिर्णीत	
61	पैरा 79	अनिर्णीत	

62	पैरा 80	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
63	पैरा 81	अनिर्णीत	
64	पैरा 82	अनिर्णीत	
65	पैरा 83	अनिर्णीत	
66	पैरा 84	अनिर्णीत	
67	पैरा 85	अनिर्णीत	
68	पैरा 86	अनिर्णीत	
69	पैरा 87	अनिर्णीत	
70	पैरा 88	अनिर्णीत	
71	पैरा 89	अनिर्णीत	
72	पैरा 92	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
73	पैरा 93	अनिर्णीत	
74	पैरा 95	अनिर्णीत	
75	पैरा 97	अनिर्णीत	
76	पैरा 98	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
77	पैरा 99	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)
78	पैरा 100	अनिर्णीत	
79	पैरा 101	अनिर्णीत	
80	पैरा 102	अनिर्णीत	
81	पैरा 103	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17.02.11 के द्वारा)

7- vad{k.k ,oa fujh{k.k izfronu vof/k 04@03 ls 03@07

1	पैरा 2	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्षा दी गई है।)
2	पैरा 3	निर्णीत	(ग्रान्ट इन एड की नवीनतम स्थिति वर्तमान

			अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्षा दी गई है।)
3	पैरा 3(ए)	अंषतः निर्णीत	(निमन ग्रान्ट इन एड के अतिरिक्त अन्य के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है) Øe l[;k — jkf'k 3 — 1,48,875 6 — 40,77,417
4	पैरा 4(ए)	अनिर्णीत	
5	पैरा 4(बी)(i)(ii)(iii)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्षा दी गई है)
6	पैरा 4(सी)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति दर्षा दी गई है)
7	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत	
9	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत	
10	पैरा 5(सी)	निर्णीत	(सचिव द्वारा वित्त विभाग के ज्ञापन संख्याः फिन(बी)(7)–14/98, दिनांक 08.12.1998 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार स्कूटर/मोटर साईकिल यात्रा का ₹1.20 प्रति कि0मी0 की दर से भत्ता लिया गया है)
11	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत	
12	पैरा 6(बी)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
13	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	
14	पैरा 6(डी)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
15	पैरा 6(ई)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)

16	पैरा 6(एफ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 6(जी)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
18	पैरा 6(एच)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
19	पैरा 6(आई)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
20	पैरा 6(जे)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का अनुबन्ध किया गया है)
21	पैरा 6(के)	अनिर्णीत	
22	पैरा 6(एल)	अनिर्णीत	
23	पैरा 6(एम)	अनिर्णीत	
24	पैरा 6(एन)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का अनुबन्ध किया गया है)
25	पैरा 6(ओ)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का अनुबन्ध किया गया है)
26	पैरा 6(पी)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का अनुबन्ध किया गया है)
27	पैरा 6(क्यू)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का अनुबन्ध किया गया है)
28	पैरा 6(आर)	अनिर्णीत	
29	पैरा 6(एस)	अनिर्णीत	
30	पैरा 6(टी)	निर्णीत	(नगर पंचायत द्वारा श्री जसवन्त सिंह के साथ प्रति पवाईंट पथ प्रकाष मुरम्मत का

			अनुबन्ध किया गया है)
31	पैरा 6(यू)	अनिर्णीत	
32	पैरा 6(वी)	अनिर्णीत	
33	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत	
34	पैरा 7(बी)	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
35	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत	
36	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत	
37	पैरा 7(ई)	निर्णीत	(₹4824 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से मापन पुस्तिका 27 के पृष्ठ 48–49 पर कर ली गई है)
38	पैरा 7(एफ)	अनिर्णीत	
39	पैरा 7(जी)	अनिर्णीत	
40	पैरा 8	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
41	पैरा 9	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)
42	पैरा 10	निर्णीत	(पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)V-65/78-955, dated 17-02-2011 के द्वारा)